वित्त निर्देश 47/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 296/216/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 11.10.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2007 चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि ।

संदर्भ:- वित्त निर्देश क्रमांक 38/2004 क्रमांक 268/216/वि/नि/चार, दिनांक 11.09.2007

राज्य शासन के संदर्भित ज्ञापन द्वारा दिनांक 1.04.2007 से चिकित्सकों तथा चिकित्सा शिक्षकों की अधिवार्षिक आयु में वृद्धि की गई है । उक्त ज्ञापन के बिंदु क्रमांक 4 के तहत् ''ऐसे चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक जो दिनांक 1.4.2007 और अध्यादेश के प्रकाशन की तारीख के बीच पूर्व नियमों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी आगामी कर्त्तव्य अवधि उनके शासकीय सेवा में पुन: कार्यग्रहण करने की तिथि से गिनी जायेगी'' ।

इस विषय में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि ऐसे सेवानिवृत्त चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक अपने कार्य में पुन: कब तक उपस्थित हो सकते हैं ।

राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक दिनांक 31.10.2007 तक अनिवार्य रूप से कार्य पर उपस्थित हों अन्यथा यह माना जायेगा कि वे पुन: शासकीय सेवा में लौटने के इच्छुक नहीं हैं । ऐसे चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक जो अभी तक पुन: कार्य पर उपस्थित नहीं हुये हैं के मामले में उनके पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा शासन के इस निर्णय से उनको तत्काल लिखित में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना विभागाध्यक्ष को भी दी जावेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 297/216/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 11.10.2007

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग